निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर
जिला चित्तौडगढ(राज)
पीठासीन अधिकारी – मांगीलाल रेगर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 106 / 2014 वाद दिनांक 11 / 2 / 2017

उनवान

1. उदी बाई पुत्री हीरा जी चमार निवासी सोनदडा तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ(राज) ।

----वादीया

।। बनाम ।।

1. डालु पिता हीरा चमार निवासी सोनरडा तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ(राज)।
2. राधेश्याम पिता भेरा चमार निवासी सोनरडा नाबालिग जरिये सरक्षंक माता कमला पत्नी भेरा चमार निवासी सोनरडा तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ(राज)।
3. शान्ति पुत्री भेरा जी निवासी सोनरडा नाबालिग जरिये सरक्षंक माता कमला पत्नी भेरा चमार निवासी सोनरडा तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ(राज)।
4. रतनी निवासी सोनरडा नाबालिग जरिये सरक्षंक माता कमला पत्नी भेरा चमार निवासी सोनरडा तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ(राज)।
5. राधा पुत्री भेरा जी चमार निवासी सोनरडा तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ(राज)
6. कमला बेवा भेरा जी चमार निवासी सोनरडा तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ(राज)
7. शम्भुडी बेवा हीरा जी चमार निवासी सोनरडा तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ(राज) (मृत नाम हटाया)
8. नाथु पिता चुनीया चमार निवासी सोनरडा तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ(राज)
9. बालीया पिता सोराम चमार निवासी सोनरडा तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ(राज)
10. रूपी बेवा नाना चमार नवासी सोनरडा तह. भदेसर सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ(राज)
11. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार साहब भदेसर

............................प्रतिवादीगण

वाद पत्र खातेदारी घोषणा बटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थाना काशतकारी अधि. 1955 .

उपस्थित मोहम्मद रईस वकील वादीया

प्रकरण के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया उदी ने वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा बटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर [illegible] किया कि उसकी पैत्रक कृषि आराजीयात ग्राम सोनरडा पटवार हल्का [illegible] अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बानसेन तह. भदेसर की खाता संख्या [illegible] 454 रकबा 0.86

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:28:42 IST
Reason: SelfAttested

11.2.17
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner

हैक्टर लगाने 12.04 रूपये स्थित है इसी प्रकार खाता संख्या 37 मे दर्ज आराजी नम्बर 460 , 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, कुल किता 9 कुल रकबा 2.18 हैक्टर कुल लगान 28.58 रूपये है उक्त आराजीयात वादीया की विरासत होकर सोराम जी के समय से चली आ रही है तथा वाद की कलम नम्बर 2 मे सजरा प्रस्तुत कर मुल पुरूष सोराम के 4 पुत्र चुनीया , हीरा , नाना , व वालीया होना अंकित किया है तथा चुनीया एक पुत्र नाथु व हीरा के दो पुत्र डालु व भेरा तथा एक पुत्री वादीया उदी हुई नाना के कोई नर संतान नही होकर उसकी पत्नि रूपी व वादीया स्वय जीवीत है इस प्रकार मुल पुरूष सोराम जी की विरासत से प्राप्त कृषि आराजीयात मे वादीया के पिता हीरा का 1/4 हिस्सा निहीत था तथा हीरा के 4 उत्तराधिकारी डालु, भेरा , उदी, तथा उसकी पत्नि शम्भुडी हुए जिसमे प्रत्येक का 1/4 हक व हिस्सा बनता है एवं दोराने वाद वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 की माता शम्भुडी की मृत्यु हो गई जिससे हीरा के तीन उत्तराधिकारी शेष रहे वादीया का उपरोक्त विवादीत आराजीयात मे अपने भाई डालु व भेरा के समान हम व अधिकार निहीत है वादीया के पिता सन् 1977 मे मृत्यु हो गई उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलाभगती कर आराजीयात का नामांकरण अपने नाम पर दर्ज करा लिया जबकि वादीया मृतक हीरा की जायन्दा उत्तराधिकारी है इसलिए यह खातेदारी धोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत कर खातेदारी धोषणा व उसी अनुसार बटवाडा कराया जाकर पृथक से खाते मे दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को पाबन्द किया जावे की वादीया के पिता के हक व हिस्से को किसी अन्य को रहन व बक्शीश नही करे ना ही वादीया के कब्जे काश्त मे दखल अन्दाजी करे इस पर प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये ।

बरोज पेशी प्रतिवादीगण बावजुद सुचना सम्मन लेने से मना कर दिया जिससे कारण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 30/11/2016 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारीत किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 11 बावजुद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही की गई प्रकरण मे कियी भी प्रकार का जवाब या वादीया के बवाद का खण्डन नही होने तक तनकीयात कायम नही की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी मे नियत की गई । .

वाद के समर्थन में वादीया की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :- दिनांक 30/1/2017 को अपना शपथपत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात मे प्रमाणित प्रति. नामन्तकरण संख्या 113 प्रदर्श – 1 , नामान्तरण संख्या 114 प्रदर्श–2 जमाबन्दी ग्राम सोनरडा खतोनी संख्या 35 सम्वत 2060 से 63 प्रदर्श–3, जमाबन्दी ग्राम सोनरडा खातोनी संख्या 31 सम्वत 2060 से 63 प्रदर्श– 4, जमाबन्दी ग्राम सोनरडा खाता संख्या 32 सम्वत 2068 प्रदर्श – 5 , एवं जमाबन्दी ग्राम सोनरडा खाता संख्या 37 सम्वत 2068 प्रदर्श कराये गये ।

Signature Not Verified

विद्वान अधिवक्ता वादिया की बहस एक [illegible] गई जिन्होनें वादवर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का [illegible] अवलोकन किया गया।

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

वादीया की और से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1, 2 से स्पष्ट है कि विवादीत कृषि आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 1 से 7 की पैत्रृक कृषि आराजीयात है जो प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 से 7 के पिता व पति को विरासत से प्राप्त हुई है तथा यह भी सिद्ध है कि वादीया मृतक हीरा की जायन्दा पुत्री है जो मृतक हीरा की विरासत प्राप्त करने की अधिकारीनी है जिसका खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार नही किया गया है तथा वादीया अपने पिता की विरासत मे अपना हक व हिस्सा समान रूप से रखती है तथा खातेदारी में दर्ज कराने की अधिकारीणी है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादिया डिकी किया जाता है कि ग्राम सोनरडा पटवार हल्का कन्थारीया की खाता संख्या 32 मे अंकित आराजी नम्बर 454 रकबा 0.86 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 37 मे दर्ज आराजी नम्बर 460 , 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, कुल किता 9 कुल रकबा 2.18 हैक्टेयर भूमि मे वादिया को 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उसी अनुसार वादीया अपने हिस्से का विधिवत अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का बटवाडा करवाने की अधिकारीनी होने से तहसीलदार भदेसर को 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये कमीशनर शुल्क पर फर्द बटवाडा हेतु कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि वे पक्षकारान को विधिवत सुचना देकर उक्तानुसार बटवाडा सुची लगान फाटनी कर मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियो मे प्रस्तुत करे विभाजन प्रस्ताव में जोत पर पर पहुंच मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह सभी वादीया को शान्ति पुर्वक कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे ना ही ऐसा किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है । इसी आशय का पर्चा डिकी एवं हुक्मनामा अलग से मुर्तिब किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय आज दिनांक 11–02–2017 को टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ...चित्तौड़गढ़

11·2·17

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:28:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner